

6. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा कार्पेसी संस्थान के संकलन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित भवनों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्लॉ पर सीसाइटी/ट्रस्ट की सभ्य भूमि एवं उसपर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर कार्पेसी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा कार्पेसी संस्थान का ही सेवाल किया जाएगा।
8. यह कि इस संस्था में कार्पेसी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश लेखों के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में कार्पेसी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद 10000 लक्षमक से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईआईटी/आईआई/आईआईए आदि का संचालन न हो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।
10. यह कि संस्थान के संकलन हेतु आवश्यक कक्षा सभ, प्रयोगशालाएँ एवं कार्यालय आदि को कार्पेसी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
11. यह कि संस्था के संकलन हेतु आवश्यक सैलिक एवं असैलिक स्टाफ की दैनिकी सीसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जाएगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का भली भाँति पालन करेगा। यदि भरे संस्थान में किसी भी सभ्य स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी कहीं कहीं है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिती द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझ मान्य होगा। इस हेतु भरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि भरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना भरे किसी जानकारी से पूर्व रूप में सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज कहीं अतिरिक्त अथवा झूठेपूर्ण पाये जाते हैं तो भरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी तौ गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



संरक्षक

संरक्षक

10 सचिव

10 अध्यक्ष

संरक्षक

संरक्षक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FY 535784

NOTARY PUBLIC
Teh Haidarabad
Distt. Bahraich

(शक-२०२३)

2023-24 में गठस्थित की जाने वाली विप्लोमा इन चार्मेली संस्थानों की सिखाई/टस्ट के सम्बन्ध और सविश्व द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी सप्ल-पत्र का प्रस्तुत

इन सुलेख सुमार "अप्ल" एवं सरोजनी प्रबन्धक इमरा अण्डा एवं प्रबन्धक लाल बाबतुर सैदा संस्थान पुरे रुद, चसमानपुर, बाराबंकी सप्लपूरक निम्नवत् बखान करती है:-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/टस्ट द्वारा सुचरपीठ वर्ग बरलेख जीक चार्मेली पुरे रुद, चसमानपुर, बाराबंकी नाम से विप्लोमा इन चार्मेली संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/टस्ट के नाम पुरे रुद, चसमानपुर, परगना सिधौर, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में गटा संख्या-82/0.041हेठ, 84/0.109हेठ, 91अ/0.297हेठ व मदासपुर सैसनजना खा, परगना सिधौर, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में गटा संख्या-30/0.060हेठ, 32/0.240हेठ, 34/0.299हेठ सप्ल इमरा: 0.445हेठ + 0.982हेठ कुल सप्ल 1.029हेठ मुनि है।
3. यह कि उपरोक्त मुनि पर किन्ती प्रकार का कोई भी पाद किली की न्यायालय में नहीं चल रहा है, और मुनि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पत्र पर सोसाइटी के नाम चसमानपुर, परगना सिधौर, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में गटा संख्या-82/0.041हेठ, 84/0.109हेठ, 91अ/0.297हेठ व मदासपुर सैसनजना खा, परगना सिधौर, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में गटा संख्या-30/0.060हेठ, 32/0.240हेठ, 34/0.299हेठ सप्ल इमरा: 0.445हेठ + 0.982हेठ कुल सप्ल 1.029हेठ पर उपरोक्त नाम की विप्लोमा इन चार्मेली संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/टस्ट की बैठक दिनांक 21/07/2023 द्वारा मरित किया गय है।



सुलेख सुमार सरोजनी